

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 43/2023

तारीख दायर:- 07.06.2023
तारीख निर्णय:-10.03.2025

1. श्री नानालाल पिता काउवा भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
2. कडुली पत्नी काउवा भील निवासी सडा तहसील फलासिया।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हीरालाल पुत्र लाला भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
2. श्री मावा पुत्र कोयला भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
3. श्री खातु पुत्र काउवा भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
4. श्री जगदीश पुत्र नाथुलाल भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
5. नकी पुत्री काउवा भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
6. बाबुडी पत्नी नाथुलाल भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
7. राजकुमारी पत्नी नाथुलाल भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
8. हांजु पत्नी दिनेशकुमार भील निवासी सडा तहसील फलासिया।
9. होमली पुत्री काउवा भील निवासी सडा तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री गजेन्द्र जोशी

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा भामटी पटवार क्षेत्र गरणवास तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 2440/119 रकबा 0.1476, 2442/120 रकबा 0.1740 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाईं झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी कि मौजा भामटी पटवार क्षेत्र गरणवास तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2440/119 रकबा 0.1476, 2442/120 रकबा 0.1740 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर




प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन गय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि कि कि मौजा भामटी पटवार क्षेत्र गरणवास तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2440/119 रकबा 0.1476, 2442/120 रकबा 0.1740 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की स्थिति में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से फन हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिवक्ता, सी
झाडोल, जिला-सुरेंद्रपुर